कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र।
पत्रांक 1288 /रेनुकूट/15 दिनांक रेनुकूट अक्टूबर, 08, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय : जनपद–सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के पट्टे का 25 वर्षो के लिये नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भ : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 521/11–सी–एफपी/ यूपी/ट्रांस/18048/ 2016 दिनांक 05.09.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाये गये 14 बिन्दुओं की कमियों का निराकरण करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या (संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में) साथ ही साथ 3 नग सीडी वनभूमि का, 3 नग सीडी वनभूमि व गैर वनभूमि का, 3 नग सीडी 1:50000 टोपोशीट का, 3 नग सीडी क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अवनत वनभूमि का 1:50000 टोपोशीट का एवं 3 नग क्षतिपूरक वनीकरण भूमि का केएमएल सीडी संलग्न है। प्रभाग की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है –

कमांक	विवरण	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है ।	प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का संलग्न रंगीन मानचित्र का शीर्षक ठीक कर दिया गया है ।
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है तथा पैरा ए के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण तिथि अंकित कर स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है तथा पैरा ए के बारे में उत्तर दे दिया गया है।
3	प्रस्तावित वनभूमि का Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वनभूमि के संलग्न Geo Referenced Digital Map पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।
4	प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है किन्तु प्रत्येक पृष्ठ पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन के प्रत्येक पृष्ठ पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।

5	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु मूल में नहीं है तथा kml file की सीडी भी संलग्न नहीं है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Map मूल में तथा kml file की सीडी भी संलग्न कर दी गई है।
6	ऑनलाईन भाग–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की SoI Toposheet के स्थान पर प्रस्तावित वनभूमि की SoI Toposheet अपलोड की गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–13 (iV) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित SoI Toposheet अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाईन भाग–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की SoI Toposheet अपलोड कर दी गयी है, तथा ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–13 (iV) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित SoI Toposheet अपलोड कर दिया गया है।
7	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर दिया गया है ।
8	प्रस्तावित वनभूमि के एन.पी.वी. में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान करने की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वनभूमि के एन.पी.वी. में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान करने की वचनबद्धता जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, संलग्न कर दिया गया है।
9	ऑनलाईन भाग–2 में हरियाली घनत्व 0.8 तथा हार्ड कापी भाग–2 में हरियाली घनत्व शून्य अंकित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान उचित हरियाली घनत्व अंकित करते हुये संशोधित भाग–2 संलग्न करें तथा तदनुसार NPV की दर से NPV की गणना प्रस्ताव में सलग्न की जायें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाईन भाग–2 में हरियाली घनत्व तथा हार्ड कापी भाग–2 में एक समान उचित हरियाली घनत्व अंकित करते हुये संशोधित भाग–2 तथा तदनुसार NPV की दर से NPV की गणना प्रस्ताव में सलग्न कर दी गयी है।
10	पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु सहमति अवधि दिनांक 31.12.2017 को समाप्त हो चुकी है । अतः संशोधित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि संशोधित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसकी सहमति अवधि दिनांक 31.12.2019 तक है प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।

11	गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न है किन्तु चिन्हित नहीं है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि संलग्न प्रमाणित गजट नोटिफिकेशन की प्रति में ग्राम चिन्हित कर दिया गया है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा फार्म–ए का पार्ट–1 व फार्म–बी का पार्ट–1 अपलोड कर संलग्न किया गया है, जो कि विरोधाभाष है । अतः स्थिति को स्पष्ट करते हुये पार्ट–1 संलग्न करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित फार्म–बी का पार्ट–1 अपलोड कर दिया गया है ।
13	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 एवं 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है । अतः उचित डाटा फीड करते हुये संशोधित ऑनलाईन भाग–2 प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संलग्न करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 एवं 6 में उचित डाटा फीड करते हुये संशोधित ऑनलाईन भाग–2 प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में संलग्न कर दी गई है।
14	ऑनलाईन भाग–2 के कमांक–13 (iii) में क्षतिपूरक वनीकरण के Geo Referenced Digital Map के स्थान पर Sol Toposheet अपलोड की गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–13 (iii) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित Geo Referenced Map अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–13 (iii) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित Geo Referenced Map अपलोड कर दिया गया है।

अतः विषयक प्रकरण मय संलग्नक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र।

संख्या 1289. **अ/समदिनांक।**

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सहायक महाप्रबन्धक, मे0 हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेनुकूट–सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र।